न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—159/2019/225 (2019/00159)

1. भंवरलाल पुत्र रामनाथ माली,
2. महावीर पुत्र रामनाथ माली,
3. कालूराम पुत्र रामनाथ माली,
4. रामअवतार पुत्र रामनाथ माली,
   समस्त जाति माली, नि0 सदारी, तह0 सावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. कल्याण पुत्र गोकुल, जाति माली, नि0 सदारी, तह. सावर, जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 13.2.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 31/2018.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री मुकेश जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 13.2. 2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सदारी, तह0 सावर जिला अजमेर में जमाबंदी संवत् 2074 के खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 806 रकबा 0.40 है0 आराजी अवस्थित है, जो प्रार्थी/रेस्पो0 के नाम खातेदारी से दर्ज है । प्रार्थी की आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फीट चौड़ा है, जो खसरा नंबर 805 रकबा 0.36 है0 किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नंबर 807 रकबा 0.46 है0 किस्म चाही—1 में मौजूद है । उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी में दर्ज है । अप्रार्थीगण उक्त रास्ते में आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की आराजी खसरा नंबर 805 रकबा 0.36 है0 किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नंबर 807 रकबा 0.46 है0 किस्म चाही—1 में से 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु दिया जावे। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर जमा कराने को तैयार है । विद्वान

अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 13.2.2019 द्वारा स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 807 रकबा 0.46 है0 में से चाहे गए रास्ते को स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित कर अपीलांटस की आराजी को दो भागो में विभाजित करने के आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदार काश्तकार के द्वारा स्वंय की आराजियात पर आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते के अभाव में ही रास्ता स्वीकृति हेतु अन्य खातेदारान की आराजियात में से रास्ता दिलाये जाने बाबत् आवेदन किया जा सकता है किन्तु प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद प्रार्थी/रेस्पो0 ने अपीलांटस की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 805 व 807 के मध्य से रास्ता स्वीकृत किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 805 व 807 अपीलांट की शामलाती रूप से जुड़ी हुई आराजियात है जिस पर खसरा संख्या 809 गै0मु0 चाह से सिंचाई की जाती है । उक्त आराजियात के मध्य से किसी भी रूप में रास्ते के लिये आरक्षित नही की जा सकती है, न ही रास्ते के आवागमन हेतु उपरोक्त आराजियात को धारा 251–ए के तहत राजस्व अभिलेख में दर्ज ही किया जा सकता है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा उक्त संदर्भ में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 4.12.2018 में संपूर्ण मौका नक्शा नहीं बनाया जाकर आराजी खसरा संख्या 1170 आबादी से खसरा संख्या 805 से 807 की आराजियात में से 20 फीट रास्ता कायमी के आदेश पारित किये है जो कि प्रथमदृष्टया की निरस्त किये जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त अपीलांटस की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 771, 807 व 809 में आवागमन हु खसरा संख्या 773 की दक्षिणी दिशा में स्थित रास्ता व दक्षिणी मेड से सटाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतृ पृथक से प्रार्थना पत्र अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है । अपीलांटस की स्वंय की खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 771, 807, 809, 805 में आवागमन हेतु रास्ता मौके पर स्थित है । जिस हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है । यदि उक्त रास्ता स्वीकृत होता है तो खसरा संख्या 806 जो कि रेस्पो0 की खातेदारी में है, के अतिरिक्त अन्य खातेदारान भी लाभान्वित होगें । किन्तु उक्त बाबत् अपूर्ण मौका रिपोर्ट के आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित कर अपीलांटस की खातेदारी की आराजियात खसरा संख्या 807 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किए जाने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 से मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश पारित किये है किन्तु रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा स्वंय मौके पर न जाकर पटवारी हल्का को उक्त संदर्भ में मनोनित कर रिपोर्ट तलब की है जो धारा 251–ए में वर्णित प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने आक्षेपित निर्णय

अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई तथा अधिवक्ता द्वारा प्रत्येक पेशी पर नहीं आने के संबंध में हिदायत दे रखी थी जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । दिनांक 16.4.2019 को प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवक्ता से संपर्क करने पर ज्ञात हआ कि अपील का निस्तारण दिनांक 13.2.2019 को हो चुका है । तत्पश्चात् दिनांक 18.4.2019 को आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन करने पर प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । प्रार्थीगण अनपढ़, गरीब काश्तकार है जिन्हें नियमों की जानकारी नहीं है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । खाता संख्या 21 के खसरा नंबर 806 रकबा 0.40 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खातेदारी से दर्ज है । रेस्पो0 की आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फीट चौड़ा है, जो अपीलांटस के खसरा नंबर 805 रकबा 0.36 है0 किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नंबर 807 रकबा 0.46 है0 किस्म चाही–1 में मौजूद है । रेस्पो0 पुराने समय से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है । अपीलांटस जानबूझ कर उक्त रास्ते में बाधा कारित करते है तथा उक्त रास्ते को बंद कर दिया था। विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने उक्त रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी भी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या 21 खसरा नंबर 806 रकबा 0.40 है0 आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के नाम खातेदारी से दर्ज है । रेस्पो0 की आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फीट चौड़ा है, जो अपीलांटस के खसरा नंबर 805 रकबा 0.36 है0 किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नंबर 807 रकबा 0.46 है0 किस्म चाही–1 में मौजूद है । रेस्पो0 पुराने समय से इस रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे । उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण/अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण/अपीलांटस के अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने रास्ते कायम किये

जाने हेतु तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश पारित किये है । उक्त आदेश की पालना में भू–अभिलेख निरीक्षक मेहरूकंला द्वारा दिनांक 4.12.2018 को मौका रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर अधी0न्याया0 को प्रेषित की गई है । उक्त मौका रिपोर्ट में भू–अभिलेख निरीक्षक ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि '' प्रार्थी/रेस्पो0 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 806 में आने जाने हेतु प्रतिवादीगण भंवरलाल वगैरह की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 805 व 807 की बीच वाली मेड़ पर होकर वर्षो से आते जाते थे । वर्तमान में प्रतिवादीगण ने मेड़ पर थोर लगाकर वादी की आराजी खसरा नंबर 806 का रास्ता बंद कर दिया है। अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 806 में आने जाने के लिए रास्ता प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 8.7 में से होकर आता है इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी वैकल्पिक रास्ता नहीं है । '' भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांकित 4.12.2018 से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0/प्रार्थी, अपीलांटस की आराजी खसरा नंबर 807 में से होकर आता जाता है, तथा आराजी खसरा नंबर 806 में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है । अपीलांटस ने भी अधी0न्याया0 के समक्ष अन्य किसी वैकल्पिक रास्ते बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । अधी0न्याया0 ने उक्त मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पो0/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 की प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए रास्ते के आदेश पारित किये है । धारा 251–ए में यह स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि यदि किसी काश्तकार की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता हो तो उक्त काश्तकार नजदीकी काश्तकार की आराजी में से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है । वर्तमान प्रकरण में रेस्पो0/प्रार्थी की आराजी में आवागमन हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना प्रमाणित नही होता है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.2.2019 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर